न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14 (4) सख्या / 02 / 2011

जगतपाल पुत्र श्री मानसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम सुनारी तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–सतीश पुत्र गोविन्द सिंह
2–देवी सिंह ।
3–शेरसिंह । पिसरान नत्थीलाल जाति वाढई निवासी ग्रांम सुनारी तहसील
4–मेघसिंह । जिला भरतपुर
5–जगदीश । पिसरान चन्दन जाति जाट निवासी सुनारी तहसील व जिला भरतपुर
6–हरभान ।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू –आंबटन नियम 1970, आंबटन आदेश दिनांक 04.06.1973

———

उपस्थित :–

1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी0,

निर्णय दिनांक 20.06.2025

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आंबटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 4.6.1973 को आराजी खसरा नम्बर 460 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा ग्रांम सुनारी तहसील भरतपुर का अप्रार्थी. संख्या 1 से 4 के पिता के हक किया है और सनद जारी की है। विवादित आराजी आवंटन के रोज भी राजस्व रिकार्ड में चारागाह ही दर्ज है। राज. भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत ऐसी भूमियों का आवंटन निषेधित किया हुआ है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 4.6.1973 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीबद्ध की गई। अप्रार्थी0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस एकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आंवटन सलाहकार समिति भरतपुर ने दिनांक 26.5.73 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा ग्रांम सुनारी का आंबटन अप्रार्थी0 संख्या 1 लगायत 4 के पिता को किया गया था। विवादित आराजी हमेशा से गोचर भूमि रही है जो मवेशी के चरने के काम आती है। आवंटन कमेटी ने आवंटन निर्धारित प्रकिया के तहत नहीं किया गया है और कोई नोटिस उज्रदारी जारी नहीं किये गये । आवंटन कमेटी ने आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन नियम 5,6,7 व 11,12,13 की कोई पालना नहीं की गयी है जब कि आवंटन के लिए उक्त नियमों की पालना करने का आवश्यक प्रावधान है इस प्रकार आदेश आवंटन निरस्तनीय है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि आवंटी ने इस भूमि को अप्रार्थी सख्या 5 व 6 को हस्तातंरित कर दिया है जो नियमों के खिलाफ है। योग्य अभिभाषक ने दौराने बहस इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.1.2025 उनवानी जगतपाल बनाम सतीश वगे0 में पारित आदेश की प्रति पेश करते हुये बताया कि अप्रार्थी के पिता नत्थीलाल पुत्र थानसिंह को आराजी खसरा नम्बर 460 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा आवंटन होने के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया है। कथित आवंटन आदेश नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज के रहता है । प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का आवंटन आदेश दिनांक 4.6.73 निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.1.2025 अपील/52/2011 उनवानी जगतपाल बनाम सतीश वगे0 सत्यप्रतिलिपि का अध्ययन किया गया, स्व. नत्थीलाल पुत्र थानसिंह के हक में किये गये आवंटन बाबत आराजी खसरा नम्बर 460 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा गैर मुमकिन चारागाह के आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 3.2.74 को निरस्त किया जा चुका है। नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 3.2.74 के कॉलम संख्या 5 किस्म भूमि मकबूजा चारागाह अंकन हो रहा है। अतः चारागाह भूमियॉ का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित किया हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चारागाह आवंटन आदेश 4.6.1973 निरस्त किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी0 का प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) स्वीकार किया जाता है। नत्थीलाल पुत्र थानसिंह के हक में आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा गैर मुमकिन चारागाह आवंटन आदेश 4.6.1973 निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली आंवटन वापिस लोटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर